न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला गंगापुर सिटी

पीठासीन अधिकारी— श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
49/2020	18.9.2020	11-12-2024

1. धोडी पत्नी बदनसिंह, गुर्जर निवासी विदरखा तहसील गंगापुर सिटी
2. नर्वदा पत्नी हुकमसिंह, गुर्जर निवासी विदरखा तहसील गंगापुर सिटी
3. मगना पत्नी बुधराम, गुर्जर निवासी विदरखा तहसील गंगापुर सिटी
4. सरूपी पत्नी नत्थू, गुर्जर निवासी विदरखा तहसील गंगापुर सिटी

——प्रार्थीगण

बनाम

1. कमोद पुत्र लटूरया, गुर्जर निवासी विदरखा तहसील गंगापुर सिटी
2. लखन पुत्र लटूरया, गुर्जर निवासी विदरखा तहसील गंगापुर सिटी
3. राजाराम पुत्र लटूरया, गुर्जर निवासी विदरखा तहसील गंगापुर सिटी
4. रामगोपाल पुत्र कमोद, गुर्जर निवासी विदरखा तहसील गंगापुर सिटी
5. नमो पुत्र कमोद, गुर्जर निवासी विदरखा तहसील गंगापुर सिटी
6. राजेश पुत्र राजाराम, गुर्जर निवासी विदरखा तहसील गंगापुर सिटी
7. धनराज पुत्र रामस्वरूप, गुर्जर निवासी विदरखा तहसील गंगापुर सिटी
8. बलराम पुत्र रामस्वरूप, गुर्जर निवासी विदरखा तहसील गंगापुर सिटी
9. महेश पुत्र लखन, गुर्जर निवासी विदरखा तहसील गंगापुर सिटी

——प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट प्रार्थीगण की ओर से
श्री तरूण शर्मा, एडवोकेट अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि ख0नं0 1224 रकबा 0.81 है0, ख0नं0 1229 रकबा 0.96 है0, ख0नं0 1230 रकबा 0.13 है0, ख0नं0 1321 रकबा 0.62 है0, ख0नं0 1322 रकबा 2.85 है0, ख0नं0 1323 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 1324 रकबा 0.12 है0, ख0नं0 1327 रकबा 0.86 है0, ख0नं0 1361 रकबा 0.39 है0, ख0नं0 1362 रकबा 0.41 है0 कुल रकबा 7.17 है0 ग्राम विदरखा में स्थित है। अप्रार्थीगण झगडालू किस्म के व गुण्डा प्रवृति के व्यक्ति हैं जो प्रार्थीगण को आये दिन परेशान करते रहते हैं। दिनांक 10.9.2020 को अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0नं0 1230 पर आ ... प्रार्थीगण की बाजरे की फसल को काटने से मना करने ... से यह कहा कि हम तो हमारी भूमि की बाजरे की फसल ... रहे हैं तो अप्रार्थी... झगडा करने पर उतारू हो गए। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा ... कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 10:55:31 IST
Reason: SelfAttested

खण्ड अधिकारी
...पुर सिटी (राज0)

वे ताफैसला दावा प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ख0नं0 1230 स्थित ग्राम विदरखा में खडी बाजरे की फसल को प्रार्थीगण द्वारा काटने पर कोई व्यवधान पैदा नहीं करें ना ही किसी अन्य से करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने अपने जबाब में अंकित किया है कि भूमि ख0नं0 1230 प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है परन्तु ख0नं0 1230 से प्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध नहीं है, यह भूमि जबाबदारान की भूमि है। इस भूमि पर जबाबदारान का कब्जा काश्त है। इस भूमि पर जबाबदारान का बजमाने बुजुर्गान से कब्जा काश्त है। मिन जबाबदारान की अन्य खातेदारी की भूमि वादग्रस्त भूमि के सटवां है जिसे मिलाकर अप्रार्थीगण ने एक किया हुआ है जिस पर मिन जबाबदारान का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण ने भूमि अपने नाम होने का गलत फायदा उठा कर यह मुकदमा प्रस्तुत किया है। कब्जे के अभाव में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज होने योग्य है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 9 ने अपने जबाब में अंकित किया है कि भूमि ख0नं0 1230 प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है परन्तु ख0नं0 1230 से प्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध नहीं है, यह भूमि जबाबदारान की भूमि है। इस भूमि पर जबाबदारान का कब्जा काश्त है। जबाब के विशेष विवरण में अंकित किया है कि इस भूमि पर जबाबदारान का बजमाने बुजुर्गान से कब्जा काश्त है। मिन जबाबदारान की अन्य खातेदारी की भूमि वादग्रस्त भूमि के सटवां है जिसे मिलाकर अप्रार्थीगण ने एक किया हुआ है जिस पर मिन जबाबदारान का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण ने भूमि अपने नाम होने का गलत फायदा उठा कर यह मुकदमा प्रस्तुत किया है। कब्जे के अभाव में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज होने योग्य है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में प्रार्थीगण ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 प्रस्तुत की है।

अप्रार्थी न0 1 लगायत 3 ने एवं [illegible] न0 4 लगायत 9 ने अपने जबाब के समर्थन में कोई [illegible] है।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष [illegible]

प्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपने [illegible]ार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि भूमि ख0नं0 1230 ग्राम विदरखा प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 10:55:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी
सत्यमेव जयते

की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। इसके कब्जे काश्त में अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को बाधा उत्पन्न करते हैं। अतः प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वे इस भूमि के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

अप्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपनी बहस में कहा है कि वादग्रस्त भूमि से प्रार्थीगण का कोई वास्ता नहीं है एवं इस भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त भी नहीं है क्योंकि यह भूमि अप्रार्थीगण की भूमि के सटवां स्थित है एवं यह भूमि अप्रार्थीगण की भूमि के साथ मिलकर एक खेत के रूप में बनी हुई है। इसलिए कब्जे के अभाव में प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। फोटोकॉपी नकल जमाबंदी संवत 2073–76 के अनुसार वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। अप्रार्थीगण ने अपने जबाब में वादग्रस्त भूमि पर अपना कब्जा होना बताया है परन्तु कब्जे के प्रमाण में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। अप्रार्थीगण के वादग्रस्त भूमि पर कब्जे बाबत् मौखिक कथन मात्र से वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा नहीं माना जा सकता है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है इसलिए जब तक कोई अन्यथा प्रमाण नहीं हो वादग्रस्त भूमि पर कब्जा प्रार्थीगण का ही माना जावेगा। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया केस प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित है। चूंकि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि पर अपना कब्जा होना बताते हैं इससे यह प्रमाणित होता है कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के कब्जे काश्त में प्रार्थीगण को बाधा उत्पन्न करते हैं इसलिए सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। फलस्वरूप प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे मूल वाद के निस्तारण होने तक भूमि ख0नं0 1230 रकबा 0.13 है0 ग्राम विदरखा के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 11-12-2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 10:55:31 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिलाकलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)